

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री रामफूल पुत्र श्री भौरी राम मीणा निवासी डाबर कलां पोस्ट निजामपुर तहसील
रामगढपचवारा जिला दौसा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलेक्टर), दौसा

अपील सं० 74/2017



निर्णय

दिनांक 17.01.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा से सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वाँछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा व तहसीलदार, लालसोट को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वाँछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जाँच टिप्पणी मँगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा द्वारा अपने पत्रांक आरटीआर्/2017/12 दिनांक 02.01.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना का संबंध तहसीलदार लालसोट से होने के कारण उनके द्वारा प्रार्थी को वाँछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र स्थानांतरित किया गया। तहसीलदार लालसोट से इस कार्यालय द्वारा चाही गई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर पुनः इस कार्यालय का पत्रांक डीएम/कोर्ट/आरटीआई/2018/57 दिनांक 10.01.2018 द्वारा स्मरण-पत्र जारी किया गया। किंतु बावजूद स्मरण-पत्र उनकी ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना/नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लालसोट को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांत को वाँछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)

जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा